शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बी.एस. मार्ग, कबीर सर्किल के पास - 324005

शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.पी.एड़)–2023

में प्रवेश हेतु

सामान्य दिशा–निर्देशिका

प्रो. नीलिमा सिंह
कुलपति

डॉ. विजय सिंह
समन्वयक
प्रो.बी.पी.एड.–2023

कार्यालय समन्वयक
द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश– 2023
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
ई–मेलः **sports@uok.ac.in**

समन्वयक, डॉ. विजय सिंह

हेल्पलाईन नं.–92564–44539

वेबसाईट– www.uok.ac.in or www.pbped23.com

कार्यालय समन्वयक
द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश– 2023
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

ई–मेलः **sports@uok.ac.in**
हेल्पलाईन नं.–92564–44539
वेबसाईट– www.uok.ac.in or www.pbped23.com

द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश

- **प्रवेश एजेन्सी कोटा विश्वविद्यालय, कोटा** : उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : प–10(3) शिक्षा ग्रुप–4/2016 पार्ट जयपुर के दिनांक 11.05.2023 के द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के विभिन्न शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रणाली के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने हेतु कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को अधिकृत किया गया है।
- द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uok.ac.in अथवा www.pbped23.com पर उपलब्ध सामान्य दिशा निर्देशिका के अध्ययन के पश्चात् ही आवेदन करें।
- द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी योग्यता के निमित राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/दिशा–निर्देश लागू होंगे।
- सत्र 2023–24 के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाईन पद्धति से वेबसाइट www.uok.ac.in अथवा www.pbped23.com पर आवेदन करेगें। उक्त ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के लिये दिनांक 16 अगस्त, 2023 से 26 अगस्त, 2023 तक आवेदन किया जाना है। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शुल्क रू. 1000/– निर्धारित है, जिसे ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैकिंग/यू.पी.आई. से करनी होगी। निर्धारित शुल्क राशि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे की माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। सफलतापूर्वक ऑनलाईन शुल्क भुगतान के पश्चात् अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र की तीन प्रतियां हार्ड कॉपी में प्रिंट कर स्वयं के पास रखा जाना आवश्यक है, जिन्हें उक्त पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित चरणों के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आवेदक ध्यान देंः–

(क) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदन पत्र का Preview चैक करें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारम्भ से नया आवेदन करें।

(ख) आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।

(ग) **एक बार जमा की गई आवेदन शुल्क राशि केवल तकनीकी कारणों से दोहरा शुल्क जमा होने की स्थिति में ही लोटायी जावेगी, शेष प्रकरणों में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।**

(घ) यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 30 मिनट इन्तजार पश्चात् वेबसाईट पर उपलब्ध Check Payment Status विकल्प पर चैक करने पर, यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन सफल दर्शाता है तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें तथा यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन इस स्थिति में भी विफल रहता है तो पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रांजेक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को ही की जाएगी।

(ड़) ट्रांजेक्शन सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक हेल्प लाइन नम्बर – 7976098406 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(ढ़) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हेल्प लाइन नम्बर – 7688894386 एवं 8949640180 पर सम्पर्क करें।

- उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की अंकतालिकाओं के अनुसार भरें। **साथ ही अपने स्वयं के सही मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी उपलब्ध करवाऐं जिस पर समय–समय पर सूचना प्रेषित की जा सके।**
- **उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपने स्वयं के बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण (बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या एवं आइएफएससी कोड) सही–सही भरें। काउंसलिंग पश्चात् प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु जमा करवाया गया शुल्क रूपए 5000/– में से प्रक्रिया शुल्क घटाने के पश्चात् शेष शुल्क राशि उक्त विवरण के आधार पर ही लौटाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी। (प्रार्थी का स्वंय का ही खाता होना अनिवार्य हैं)**
- ऑनलाईन आवेदन भरने के पश्चात हार्ड कॉपी संभाल कर रखें। उक्त हार्ड कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- **प्रशिक्षणः–**पाठ्यक्रम का नाम शारीरिक शिक्षा में स्नातक (B.P.Ed) द्विवर्षीय (चार सेमेस्टर) न्यूनतम 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा सत्र (प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 100 कार्य दिवस) होगा।
- **उद्देश्यः–**इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, निरीक्षक, निदेशक तैयार करना है, ताकि शिक्षण संस्थाओं में आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिससें विशेषतः

विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास में शारीरिक शिक्षा शिक्षक अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।

- **मान्यता तथा सम्बद्धताः—इ**स केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था में सम्मिलित समस्त शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय/विभाग, राजस्थान सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कार्य के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता होनी चाहियें।
- **विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एम.पी.एड. प्रवेश हेतु सीटेंः—** इस सत्र के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023—24 हेतु संस्थावार सीटें उपलब्ध होने पर वेबसाईट पर दर्शा दी जायेगी।

महत्वपूर्ण चेतावनी/सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (यथा संशोधित 2002 एवं 2022) के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री बी.पी.एड. प्रवेश परीक्षा 2023 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों के विरूद्ध उक्त प्रावधानों के अनुसार सजा एवं जुर्माना अथवा दोनों सजाऐं हो सकती हैं।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के समय पात्रता का निर्धारण स्वयं करें, क्योंकि आवेदन करने के स्तर पर आवेदन पत्रों की जाँच विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जाती है। ऑनलाईन आवेदन करना, परीक्षा में बैठना एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना अभ्यर्थी का अपना जोखिम है। यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र सिद्ध होता है तो उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश 2023 के ऑनलाईन आवेदन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

1. द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 में प्रवेश लेने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु दिनांक 16 अगस्त, 2023 से 26 अगस्त, 2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
2. द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 में प्रवेश लेने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाईट www.uok.ac.in or www.pbped23.com पर उपलब्ध सूचनाओं एवं सामान्य दिशा–निर्देश एवं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके पश्चात् यदि वे आवेदन हेतु योग्यता रखते है तो सर्वप्रथम द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु वेबसाईट www.uok.ac.in or www.pbped23.com पर आवेदन कर, निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करावें।
3. अभ्यर्थी द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेदन हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क राशि रू. 1000/– का भुगतान ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. से कर सकेंगें तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात् अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिन्ट कर सकेंगे। आवेदन शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।
4. हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

   आवेदक ध्यान दें : –

   (क) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदन पत्र का Preview चैक करें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारम्भ से नया आवेदन करें।

   (ख) आवदेन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़े।

   (ग) एक बार जमा की गई आवेदन शुल्क राशि केवल तकनीकी कारणों से दोहरा शुल्क जमा होने की स्थिति में ही लोटायी जावेगी, शेष प्रकरणों में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।

   (घ) यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 30 मिनट इन्तजार पश्चात् वेबसाईट पर उपलब्ध Check Payment Status विकल्प पर चैक करने पर, यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन सफल दर्शाता है तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें तथा यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन इस स्थिति में भी विफल रहता है तो पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रांजेक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को ही की जाएगी।

(ड़) ट्रांजेक्शन सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक हेल्प लाइन नम्बर – 7976098406 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(ढ़) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हेल्प लाइन नम्बर – 7688894386 एवं 8949640180 पर सम्पर्क करें।

उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की अंकतालिकाओं के अनुसार भरें। **साथ ही अपने स्वयं के सही मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी उपलब्ध करवाऐं जिस पर समय–समय पर सूचना प्रेषित की जा सके।**

5. ऑनलाईन आवेदन पत्रों की प्रिन्ट प्रति जमा करवाने हेतु : द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2023 के ऑनलाईन भरे हुये आवेदन पत्र की तीन हार्ड प्रतियाँ अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें जिसमें से एक ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड प्रति के साथ अपने सभी शैक्षणिक व खेल प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि व निरस्त चैक संलग्न कर समस्त दस्तावेजों के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत करे।

6. शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होने की सूचना वेबसाईट पर दी जायेगी व सभी अभ्यर्थी खेल पोशाक में शारीरिक शिक्षा एवं खेल मंडल, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में उपस्थित होंगे।

7. शारीरिक दक्षता परीक्षण एक अवसर में ही उत्तीर्ण (Qualify) करना होगा तथा उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अनुत्तीर्ण (Disqualify) होते हैं, उन्हें सीटों की उपलब्धता होने पर ही पुनः अवसर दिया जायेगा।

10. अभ्यर्थी द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2023 की वेबसाईट www.uok.ac.in or www.pbped23.com को समय–समय पर देखते रहें, जिससे वे अद्यतन सूचना से अवगत होते रहें।

समन्वयक
द्विवर्षीय बी.पी.एड. प्रवेश –2023
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा– 324005

<u>द्विवर्षीय बी.पी.एड़ पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश</u>

नोटः–उपरोक्त संस्थाओं एवं सीटों की संख्या हेतु अधिकृत स्थिति राज्य सरकार द्वारा इस सत्र के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, एन.सी.टी.ई की मान्यता एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा सम्बद्धता के अनुसार ही मान्य होगी।

बी.पी.एड का पाठ्यक्रमः– बी.पी.एड का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार होगी।

प्रवेश प्रक्रियाः– द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित योग्यताएं (Eligibility)

प्रवेश प्रक्रियाः–

1. **शैक्षिक योग्यताः–**

   - अभ्यर्थी का विधि अनुसार गठित संस्थान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से स्नातक उपाधि में 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अन्तर महाविद्यालय/इन्टर जोनल/जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक है।

   अथवा

   - शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण हों।

   अथवा

   - स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हों एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो।

   अथवा

   - स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अन्तर महाविद्यालय/इन्टर जोनल/जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

   अथवा

   - स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो एवं सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक को कम से कम तीन वर्षो का अध्यापन अनुभव हो।

राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 10 (3) शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 01 अप्रेल, 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट लागू होगी।

जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को Counselling के समय उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी की मूल अंकतालिका, खेल प्रमाण पत्र व समस्त प्रमाण पत्रों की दो–दो छाया प्रतियाँ प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा अपात्र घोषित माने जावेगें।

2. **आयुः–बी**.पी.एड में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार इस वर्ष का 30 जून, 2023 होगा। 30 जून 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पुरूष (सामान्य वर्ग) 28 वर्ष, सामन्य वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष व महिला) 33 वर्ष, सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक 45 वर्ष व पूर्व सैनिक 40 वर्ष होगा।

3. **शारीरिक योग्यताः–** बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसमें शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं बहरापन नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर फार्म के साथ जमा कराना आवश्यक है। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए। उक्त अयोग्यताएं होने पर अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त शारीरिक अयोग्यताएं न होने एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण प्रत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो पन्द्रह दिनों से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

   निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारें में यदि कोई संशय होने पर, प्रवेश के समय गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास प्रकरण भिजवाया जावेगा, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

4. **शारीरिक क्षमता परीक्षणः–** प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा।

PHYSICAL FITNESS TEST (शारीरिक दक्षता परीक्षण)

वर्ग	समय	दूरी
पुरूष वर्ग	12 मिनट	2200 मीटर दौड़
महिला वर्ग	12 मिनट	1800 मीटर दौड़

सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण एक अवसर में ही उत्तीर्ण (Qualify) करना होगा। उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि **जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित रहा है किन्तु किन्हीं कारणों से असफल (Disqualify) हो जाता है, तो इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को वरियता सूची से सीटें भरे जाने के पश्चात् शेष रही रिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जा सकेगा, जो कि अभ्यर्थियों को सुविधामात्र है। तदापि उक्त प्रकृति के अभ्यर्थियों को तत्समय उपलब्ध अभ्यर्थियों की वरियता के क्रम में प्रवेश का अवसर प्रदान किया जावेगा।**

प्रवेशार्थी जिस संस्था में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए काउन्सलिंग के समय महाविद्यालयों की अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए विकल्प का उल्लेख करें।

प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ समस्त दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। तदापि ऐसे अभ्यर्थी जो कि वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी दस्तावेज पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने में शिथिलता रहेगी।

किसी भी राजकीय विभाग/स्वशाषी निकाय में सेवारत कार्मिक यदि आवेदन कर रहा है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति (No Objection Certificate) आवेदन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक होगा।

5. **सीटों का आरक्षणः**–द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सभी वर्गों के लिये राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान प्रभावी रहेगे। **आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के पश्चात् रिक्त रही शेष सीटों पर प्रवेश सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में से नियमानुसार वरीयता के आधार पर दिया जा सकेगा।**

i. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(क) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार मान्य होगा।

(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप होगी।

ii. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायें।

iii. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि, उसने पुनः शादी नहीं की है, देना होगा।

iv. सेवानिवृत्त सैनिक के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डिस्चार्ज (सेवानिवृत्त) प्रमाण पत्र एवं सेवानिवृत्त पुस्तिका होनी चाहिए।

v. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या या गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी के स्वतः ही प्रवेश की पात्रता रद्द हो जायेगी और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा शहर होगा। राजस्थान के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 में प्रवेश सिर्फ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा ही किया जायेगा। तद्नुसार उक्त पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर किसी अभ्यर्थी को सीधे ही प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त प्रवेश के लिये कोटा विश्वविद्यालय, कोटा जिम्मेदार नहीं होगा तथा उक्त अभ्यर्थी अयोग्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में होगा। इस बाबत् किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

vi. राजस्थान की अनुसूचित/अनु. जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(क) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल, 2023 एवं इसके पश्चात् जारी किया हुआ होना चाहिए। (राज्य सरकार के नियमानुसार)

(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष है परन्तु अधिकतम तीन वर्ष तक शपथ पत्र के आधार पर मान्य किया जा सकता है। (राज्य सरकार के नियमानुसार)

vii. बी.पी.एड़. पाठ्यक्रम हेतु आवंटित कुल सीटों में से 30 सीटें राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो सी.पी.एड़. उत्तीर्ण हो के लिए

आवंटित होगी। इनके प्रवेश का आधार वरिष्ठता होगा, शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण अनिवार्य होगा। रिक्त रहने पर सामान्य वरीयता से भरी जायेगी।

6. शुल्क :–

i. द्विवर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि रू. 22370/– वार्षिक शुल्क निर्धारित किया हुआ है। अतः अभ्यर्थियों से कुल शुल्क उपरोक्तानुसार ही लिया जाना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वरियता सूची बनाये जाने से पूर्व अभ्यर्थियों से पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये पंजीकरण राशि रू. 5000/– निर्धारित किया गया है, जो कि ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करवाया जा सकेगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जावेगा, उन्हें वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के समय जमा करवायी गई राशि को उक्त निर्धारित वार्षिक शुल्क राशि में समायोजित करते हुये, शेष राशि ही प्रवेश के समय निर्देशानुसार जमा करवानी होगी।

ii. जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के पश्चात् पंजीकरण शुल्क जमा करवा दिया गया है, किन्तु किन्हीं कारणों से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है तथा सीटों के अभाव में महाविद्यालय आवंटित नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा अपवर्ड मूवमेन्ट प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् भी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है, उनसे राशि रू. 1000/– प्रति अभ्यर्थी तथा जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में सीट आवंटित नहीं हो सकी है, उनसे राशि रू. 500/– प्रशासनिक/प्रक्रिया प्रभार के रूप में काट कर लोटायी जावेगी।

7. बी.पी.एड. की वरीयता का निर्धारणः–

बी.पी.एड़ हेतु आवेदन पत्रों को प्रथम राज्य वरीयता/वर्गवार पृथक किया जाएगा तथा उसके बाद वरीयता का निर्धारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंको में से अधिकतम अंक 60 होगें।

(i) पूरक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए जाते हैं उन्हें न मानकर मात्र उत्तीर्णांक सम्बन्धित विषय/विषयों में (न्यूनतम अंक) एवं परीक्षा के अन्य विषयों को जोडकर प्रतिशत वरीयतांक दिये जायेगें।

(ii) श्रेणी सुधार हेतु छात्र/छात्राओं के द्वारा जिस परीक्षा में कुल अधिकतम अंक प्राप्त किया जाता हैं। उन्हें मानकर ही वरीयता सूची बनाई जायेगी, अंक सुधार के प्राप्तांको को वरीयता बनाने में आधार नही लिया जायेगा।

(iii) पुरूष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मैरिट के अनुसार महिला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।

1. मेरिट बनाने का आधार 100 अंक मानकर किया जाए।

अ	स्नातक परीक्षा (कुल प्राप्तांक का 60 प्रतिशत)	60 अंक
ब	सी.पी.एड / डी.पी.एड़ या किसी भी खेल में एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा	05 अंक
स	खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम अंक	35 अंक

अधिकतम कुल 100 अंक

8. **खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता** :– खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग / माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विश्वविद्यालय समिति, केन्द्र विद्यालय संगठन की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और विश्वविद्यालय / खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों / विजेता खिलाड़ियों की उपलब्धि के अनुसार अंक (weightage) दिये जा सकेंगे। ओपन प्रतियोगिताओं के कोई अंक नहीं दिये जायेगें।

I.	विश्व स्कूल खेल (World School Games) / वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल (World University Games) में प्रतिभागिता / अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय / स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	35 अंक
II.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय / स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	30 अंक
III.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय / स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	25 अंक
IV.	स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	20 अंक
V.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय / स्कूल राज्य स्तर / संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर / विद्याभारती / के.वी.एस. / नवोदय विद्यालय / आई.पी.एस. / सी. बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	20 अंक
VI.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय / स्कूल राज्य स्तर / संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर / विद्याभारती / के.वी.एस. / नवोदय विद्यालय / आई.पी.एस. / सी.	15 अंक

	बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	
VII.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/ स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	13 अंक
VIII.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/जोन अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	12 अंक
IX.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	10 अंक
X.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	08 अंक
XI.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	06 अंक
XII.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	04 अंक

सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ किसी राजकीय/अनुदानित गैर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर सेवारत होना आवश्यक है।

9. प्रवेश प्रकिया से सम्बन्धित टिप्पणियॉ –

- वरीयता निर्धारण के परिणामस्वरूप आने वाली वरीयताओं में **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** पर ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रकिया निर्देश में

दर्शायी गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जायेगा। बशर्ते की उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।

- वरीयता सूची बनाते समय यदि दो या अधिक प्रवेशार्थियों के प्राप्तांक बराबर हो तो उनमें से आयु में जिस क्रम में बड़ा हो उसे उसी अनुरूप वरीयता में स्थान दिया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि समान स्थिति में आ जाए तो हिन्दी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आए उसे वरीयता में वरिष्ठ स्थान पर रखा जाएगा।

10. प्रमाण पत्र –

- जाँच करते समय यह देखा जाएगा कि निम्न प्रमाण पत्र क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किये गये है? जारी प्रमाण पत्र की सक्षमता की पुष्टि होने पर ही प्रमाण पत्र वैध माने जाएंगे अन्यथा वे अमान्य होंगे तथा उस पर कोई लाभ देय नहीं होगा। यदि इन प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई संदेह की स्थिति प्रवेश आवेदन पत्रों की जाँच एवं मूल प्रमाण पत्रों के मिलान के समय उत्पन्न होती है, तो जाँच करवाई जाएगी एवं जाँच के प्रमाण पत्रों के गलत/असत्य/अप्रमाणित/जाली पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं दोषी अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा जारी सील सहित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (नमूना संलग्न) राजस्थान सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र उस शाला के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर आवश्यक है। हस्ताक्षरकर्ता अपना पूरा नाम मय सील अंकित करेंगें। हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य के पद के रूप में ही होने चाहिए। अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम तीन वर्ष की लगातार अवधि का होना चाहिए एवं यह तीन वर्ष की अवधि आवेदन पत्र भरने की दिनांक तक निरंतर रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही यह अध्यापन प्रमाण पत्र बी.पी. एड. में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक के निर्धारित स्थान हेतु मान्य होगा।
- **पिता/संरक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रवेशार्थी के पिता के जीवित होने पर पिता द्वारा एवं पिता के जीवित न होने पर माता/संरक्षक द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है, अविवाहित महिला/विधवा होने पर पिता द्वारा, विवाहित होने पर यह प्रमाण पत्र उसके पति द्वारा दिया जाना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र में पिता/संरक्षक/पति द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक है कि मैं प्रवेश नियमों के अंतर्गत प्रवेश देने एवं प्रवेशार्थी का समस्त व्यय वहन

करने हेतु सहमति देता हूँ और पूर्ण प्रशिक्षण काल में प्रवेशार्थी के व्यवहार एवं सभी उत्तरदायित्वों को वहन करूंगा।

समन्वयक
पीबीएमईटी–2023
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

<u>नमूना</u>

सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रमाण पत्र

श्री / श्रीमती / कुमारी .... विद्यालय का नाम .... जिला ....की तृतीय वेतन श्रृंखला में प्रथम नियुक्ति तिथि .... है। इनका मूल वेतन .... रूपये प्रतिमाह है। ये वेतन श्रृंखला में .... कार्यरत है।

प्रति हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी
नाम एवं मोहर सहित

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
नाम एवं मोहर सहित